POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति – दिनांक 25.08.2024

1.थाना सेक्टर-58, नोएडा पुलिस द्वारा वाहन चोरी व मोबाइल फोन स्नैच करने वाले 05 अभियुक्त गिरफ्तार एवं 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया, कब्जे से चोरी की 02 मोटरसाइकिल व लूट/चोरी के 13 मोबाइल फोन बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **25.08.2024** को थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से थाना क्षेत्र के छोटा डी पार्क सेक्टर-62 के पास से 05 अभियुक्त 1.मोहित पुत्र मनोज कुमार 2.आकाश पुत्र इन्द्रपाल 3.अभिषेक पुत्र दिलीप 4.आकाश पुत्र संजय 5.राहुल पुत्र मोती मंडल को **गिरफ्तार** किया गया है एवं एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। जिनके कब्जे से चोरी की 02 मोटरसाइकिल व लूट/चोरी के 13 मोबाइल फोन बरामद हुये है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्त बदल-बदलकर मोबाइल स्नैचिंग करते है तथा मोबाइल फोन को झुग्गियो व राह चलते व्यक्तियो में 2,000 से 3,000 रूपये में बेंचकर शौंक पूरा करते है। यह लोग बाल अपचारी से मोटरसाइकिल चोरी कराते है, तथा चोरी की मोटरसाइकिल पर सवार होकर नोएडा, गाजियाबाद व दिल्ली में विभिन्न स्थानों से मोबाइल स्नैचिंग करते है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. मोहित पुत्र मनोज कुमार निवासी ग्राम पुरैनी तहसील नगीना जिला बिजनौर वर्तमान पता ग्राम हरौला, सेक्टर-5 नोएडा।
2. आकाश पुत्र इन्द्रपाल निवासी मौहल्ला भीतरकोट, महोबा वर्तमान पता ग्राम मामूरा, थाना फेस-3, नोएडा।
3. अभिषेक पुत्र दिलीप निवासी ग्राम मोचरोल, जिला अलीगढ़ वर्तमान पता ग्राम मामूरा, थाना फेस-3, नोएडा।

4. आकाश पुत्र संजय निवासी ग्राम कादरवादी, थाना सोरो, जिला कासगंज वर्तमान ग्राम मामूरा, थाना फेस-3, नोएडा।
5. राहुल पुत्र मोती मंडल निवासी अंबेडकर चौक, कटिहार, बिहार वर्तमान पता खोडा कॉलोनी गाजियाबाद।
6. एक बाल अपचारी

बरामदगी का विवरण--

1. लूट/चोरी के 13 मोबाइल फोन
2. मोटरसाइकिल स्पलेण्डर रजि0 नं0 यूके08एई-3361
3. मोटरसाइकिल पेशन प्रो रजि0 नं0 यूपी14डीएच-7716

आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0-300/2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना सेक्टर-58, नोएडा।
2. मु0अ0सं0-239/2024 धारा 303(2), बीएनएस थाना सेक्टर-58, नोएडा बनाम आकाश।
3. मु0अ0सं0-264/2024 धारा 304(2), बीएनएस थाना सेक्टर-58, नोएडा।
4. मु0अ0सं0-61/2024 धारा 392 भादवि थाना सेक्टर-63, नोएडा बनाम मोहित।
5. मु0अ0सं0-285/2024 धारा 392 भादवि थाना सेक्टर-63, नोएडा।

2. थाना सेक्टर-49 पुलिस द्वारा क्रिप्टो करेंसी में निवेश कराने के नाम पर लोगो को फंसाकर पैसे ऐंठने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 4,50,000 रूपयें नगद, घटना में प्रयुक्त कार व अवैध हथियार बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **25.08.2024** को थाना सेक्टर-49 नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से थाना क्षेत्र के से0-47 के पीछे सर्विस रोड़ से क्रिप्टो करेंसी में निवेश कराने के नाम पर फंसाकर पैसे ऐंठने वाले वाले 03 अभियुक्त 1.निशान्त चौहान पुत्र सुमित कुमार चौहान 2.गौरव भाटी पुत्र

रिषीपाल भाटी 3.सागर भाटी उर्फ सैन्की पुत्र उमेश भाटी को **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 4,50,000 रूपयें नगद, घटना में प्रयुक्त नैक्सन कार व अभियुक्त निशांत व गौरव भाटी के कब्जे से 01-01 अवैध तमंचा मय 02-02 जिन्दा कारतूस बरामद हुए है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्त निशान्त चौहान, गौरव भाटी व सागर भाटी उर्फ सैन्की जो एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर दिल्ली/एनसीआर के बाहर के युवाओं को टेलीग्राम ऐप के माध्यम से सस्ते दामों में क्रिप्टो करेंसी में निवेश कराने के नाम पर उनके एकाउन्ट में USDT एमाउन्ट वापस मिलने व कैश में पैसे देने से टैक्स की बचत हो जाने के नाम पर टारगेट करते थे, जब कोई व्यक्ति इनसे सम्पर्क करता तो यह उनसे कैश में पैसे लेकर गाड़ी से भाग जाते थे। अभियुक्तों द्वारा अपने शौक, मौज मस्ती व क्लबों में जाकर पार्टी आदि करने के शौंक को पूरा करने के लिये ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता था।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्त निशान्त चौहान उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि उसने वर्ष 2019 में बीए0 की परीक्षा पास की थी। उसकी गौरव व सागर से काफी अच्छी दोस्ती है। अभियुक्त निशांत द्वारा अपने दोस्तों गौरव व सागर व एक अन्य के साथ मिलकर योजना बनाकर वादी मुकदमा को क्रिप्टों करेंसी में निवेश कराने के नाम पर सस्ते दाम में USDT Amount दिलाने के नाम पर व नगद रूपये लेकर टैक्स के पैसों की बचत का लालच देकर टेलीग्राम ऐप के माध्यम से सम्पर्क किया गया था तथा उसे जनपद मुरादाबाद से दिनांक 23.08.2024 को शाम के समय सै0-48 नोएडा बुलाया गया और उसे निशान्त द्वारा अपने दोस्त सागर की गाड़ी में गौरव व एक अन्य व्यक्ति के साथ उसे आगे छोड़ने को लेकर बैठा लिया गया फिर अचानक चकमा देकर उसे उतारकर उसका बैग चोरी कर भाग गये थे जिसमें पीड़ित के पैसे थे जिसे वह अपने कॉलेज की फीस के बहाने लेकर आया था। अवैध हथियार को यह अपनी सुरक्षा के लिये रखते है। यह लोग आपस मे पैसे बांट रहे थे।

अभियुक्तों का विवरण--

1. निशान्त चौहान पुत्र सुमित कुमार चौहान निवासी मदरसा के पास, ग्राम सलारपुर, थाना सेक्टर-49, गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 25 वर्ष।
2. गौरव भाटी पुत्र रिषीपाल भाटी निवासी इदगाह के पास सलारपुर, थाना सेक्टर-49 गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 24 वर्ष।

3. सागर भाटी उर्फ सैन्की पुत्र उमेश भाटी निवासी कब्रिस्तान के पास, सलारपुर, थाना सेक्टर-49 गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण--

1. 4,50,000 रूपयें
2. 02 अवैध तमंचे मय 04 जिन्दा कारतूस
3. घटना में प्रयुक्त टाटा नेक्सान गाड़ी रजि0 नं0 यूपी 16 सी.ई 4343

अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0-325/24 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस व 3/25 ए.एक्ट थाना सेक्टर-49, गौतमबुद्धनगर।